न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76 / 2012 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती कंकू पुत्री देवज्या उर्फ देवा पत्नी रूपा जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रता पिता रूपा जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गंगाबाई पत्नी कन्हैयालाल जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकर पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मंजु सिंघवी पत्नी नरेश सिंघवी, निवासी 10 ए, बाठेडा हाऊस कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा॰ का॰
अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
08–05–2012, प्र. सं. 82 / 2009

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री युगल किशोर अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक रे. से. 2
4. श्री प्रकाश पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 3
5. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 4
6. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 5, 6

———:::———

निर्णय **दिनांक 21–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थूर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित साबिक आराजियात कुल किता 17 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजीयात कुल किता 19 रकबा 2.4400 हैक्टर है। पूर्व में राजस्व ग्राम थूर ही था तथा बाद में दो भाग हो जाने से थूर व फेरनियों का गुड़ा बना, जिससे कुछ भूमि थूर में व कुछ भूमि फेरनियों का गुड़ा में स्थित है। इसी प्रकार गांव थूर में हाल आराजी नंबर 2515 रकबा 0.0600 हैक्टर, 2526 रकबा 0.1100 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2405 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा देवा पिता रोडा का है। उक्त कुलिया जमीन देवज्या पिता रोड़ा जी के खातेदारी आधिपत्य की थी, जिनके स्वर्गवास के बाद एक मात्र वारिस जाइन्दा पुत्री वादिया कंकू ही थी। देवज्या का स्वर्गवास सन् 1979 में हो गयी थी तथा देवज्या के स्वर्गवास होने पर कथित जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 रता ने अपने नाम पर खाते दर्ज करा ली, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 रूपा का लड़का है व रूपा की जायदाद रूपा के वारिसान के बीच आपसी बंटवाडे में रता विपक्षी संख्या 1 के पास विरासत से 1.3400 हैक्टर भूमि उसके नाम आयी है। रता ने एक फर्जी गोदनामा बनवाकर अपने आपको देवज्या का वारिस बताकर देवज्या के खाते की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि वह गोदनामा एबइनिश्योवोईड है, क्योंकि देवज्या ने रता को कभी भी गोद नहीं रखा तथा देवज्या की एक मात्र वारिस वादिया ही होकर कानूनन मालिक व काबिज होकर खातेदार काश्तकार है। देवज्या की कुछ जमीन प्रतिवादी संख्या 2 व कुछ जमीन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज हो गयी, जो भी बिना अधिकार के है, क्योंकि उक्त जमीनों से उनका कोई संबंध नहीं है। उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो जाने से वादिया खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है। रता ने आराजी नंबर 2242 प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी है इसी कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार रता ने आराजी नंबर 3242/3141 का 0.5500 हैक्टर में से 0.5000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार बनाया गया है। गांव थूर की आराजी नंबर 2515 रकबा 0.0600 हैक्टर, 2526 रकबा 0.1100 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2405 रकबा 0.0200 हैक्टर देवा पिता रोडा तथा आराजी नंबर 2405/1 में 1/2 हिस्सा देवा पिता रोडा का दर्ज था, जिसे जरिये गोदनामा रता

मुतबन्ना देवा डांगी के नाम दर्ज कर दिया गया जो एबइनिश्योवोईड है, क्योंकि कभी भी देवा व उसकी पत्नी ने रता को गोद नहीं दिया, न ही कोई गोद की रस्म हुई। वादकरण दिनांक 25–01–2009 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने उक्त जमीन वादिया के खाते कराने से इंकार कर दिया तथा खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। अतएवं वाद वर्णित पैरा 1 व 2 की भूमियों का वादीया को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व विधिक अनुतोष भी दिलाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 23–09–2009 को अधिनस्थ न्यायालय में वाद पेश हुआ जो दिनांक 20–06–2009 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23–02–2010 के लिए प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11–05–2010 को नगर विकास प्रन्यास व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान व प्रभूलाल करणपुरिया उपस्थित हुए। दिनांक 23–08–2010 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके जवाब का अवसर बंद किया गया तथा प्रकरण साक्ष्य वादी में मुकर्रर किया गया। दिनांक 22–02–2012 को वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध आपसी राजीनामा होने से वाद विड्रो बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 2242 रकबा 0.2600 हैक्टर के संबंध में घोषणा का वाद पेश कर रखा है, जिसमें वादिया व प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए वादिया उक्त भूमि बाबत् वाद विड्रो करना चाहती है, जिसपर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध वाद विड्रो करने की स्वीकृति दी गयी।

अधिनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वर्णित वाद में संशोधन होकर दिनांक 28–02–2012 को संशोधित वाद प्रस्तुत हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में वादिया की साक्ष्य लेने के बाद प्रकरण में दिनांक 08–05–2012 को निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम थूर की कुल किता 6 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहने का आदेश दिया। इसी प्रकार ग्राम फेरनियों का गुडा की कुल किता 9

रकबा 1.6900 हैक्टर भूमि में वादिया का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था यानि कुल रकबा 1.6900 हैक्टर में 0.8450 हैक्टर वादीया के खाते करने के आदेश दिये, परन्तु आराजी नंबर 3242/3141 रता द्वारा पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिये जाने के कारण उक्त आराजियात की भूमि में वादिया का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, परन्तु सम्पूर्ण आराजियात की भूमि विक्रय कर दिये जाने से ग्राम फेरनियों का गुडा की कुल किता 6 रकबा 0.5900 हैक्टर भूमि का वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के खाते रहने का आदेश दिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी नंबर 3242/3141 का सम्पूर्ण रकबा 0.5500 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 के नाम यथावत रहने का आदेश दिया व आराजी नंबर 2513 रकबा 0.4400 भूमि में से 1/2 हिस्सा जो कि 0.2200 हैक्टर बनता है व उसी प्रकार आराजी नंबर 2521 रकबा 0.1100 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा जो कि 0.0550 हैक्टर बनता है, जो रता के नाम दर्ज होगा, वह कुलिया 0.2750 हैक्टर भूमि चूंकि रता द्वारा आराजी नंबर 3242/3141 में कंकू का 1/ हिस्सा पूर्व में विक्रय किया जा चुका है। इस कारण मौजा फेरनियों का गुडा की उक्त दोनों आराजी नंबर 2513 व 2521 किता 2 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण का वादिया कंकू को खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–07–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री युगल किशोर दशोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रता का विवादित जमीन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रता को देवा ने कभी भी गोद नहीं रखा। देवा की एक मात्र वारिस उसकी पुत्री अपीलान्ट ही है, परन्तु रता ने अपने आपको देवा का पुत्र बताते हुए उनकी मृत्यु पर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रता ने अपने आपको देवा का गोद पुत्र बताते हुए एक वाद दस्तावेजी निरस्तीकरण, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का जिला अपर न्यायाधीश उदयपुर में प्रस्तुतत किया जो दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर दिनांक 01–06–2016 को खारिज कर दिया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट साक्ष्य के रूप में आप न्यायालय मं प्रस्तुत कर रहा है अतएवं उसे रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

→ हमारे द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 01–06–2016 का अध्ययन किया गया जो अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण से संबंधित है तथा उसमें भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गयी है, परन्तु गोदनामे के बिन्दु पर यह प्रकरण कोई प्रकाश नहीं डालता है तथा रता को गोद पुत्र नहीं माना गया हो इस बाबत् भी कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के आधार पर उसे गोद पुत्र नहीं माने जाने का न्यायालय के पास कोई आधार नहीं है, सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के निरस्तीकरण बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। तद्नुसार उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने की कोई उपादेयता नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की।

वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रमुख रूप से यह व्यक्त किया गया कि उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण संख्या 5/2013 है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील लम्बित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा यह कथन किया गया कि उसके द्वारा रता से विवादित भूमि क्रय की गई है तथा भूमि कंकू के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो जाने से उक्त 1/2 हिस्सा भी उसके द्वारा क्रय कर लिया गया है। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट 5 व 6 की ओर से प्रकरण में गुणावगुण आधार पर निर्णय करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। रता को देवा व उसकी पत्नी ने कभी भी गोद नहीं रखा, रता रूपा का लड़का है। अधिनस्थ न्यायालय ने रता को गोद पुत्र मानकर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्ती के है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रता ने कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं करवाया कि गोद के लडके के संबंध में गिविंग एवं टेकिंग हुई हो, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार पर निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय में रेकार्ड पर आयी साक्ष्य से पूरी तरह साबित है कि देवा की एक मात्र जाईन्दा पुत्री वादिया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद तरीके से निर्णय पारित कर दिया। उक्त गोदनामा वोईड है, क्योंकि गोदनामा रजिस्टर्ड होते हुए भी उस पर गोद देने वाले के हस्ताक्षर नहीं हैं। रता को जिस समय गोद लिया जाने का कथन किया गया है उस समय उसकी उम्र 35 वर्ष होकर शादी शुदा था, जिसे कानून गोद नहीं लिया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने देवा की जायदाद में 1/2 हिस्सा रता का व 1/2 हिस्सा कंकू का मानते हुए जो डिक्री पारित की है, वह गलत है, क्योंकि कंकू देवा की एक मात्र जाईन्दा पुत्री होकर सम्पूर्ण भूमि की एकल वारिस है। अतएवं उसे सम्पूर्ण भूमि का एकल रूप से खातेदार घोषित किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद एकतरफा डिक्री हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड का पूर्ण विश्लेषण कर आराजियात विवादित का पहले ग्राम थूर में होना तथा बाद में 2 गांव थूर व फेरनियों का गुडा में होने का कथन अंकित किया है। प्रकरण में यह भी निर्विवाद है कि भूमियां पूर्व में देवा पिता रोड़ा के नाम दर्ज थी तथा उक्त आराजियात देवा के मरने के बाद समग्र भूमि रता के नाम गोद पुत्र के

आधार पर दर्ज हुई हैं। यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादिया देवा की पुत्री है अतएवं विवादित भूमियों में देवा की वारिस होती है। प्रश्न सिर्फ देवा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 रता को गोद पुत्र मानकर 1/2 हिस्सा बनता है अथवा नहीं, इस बाबत् अपील मीमों में जैसाकि वर्णित किया गया है अपीलान्ट/वादिया स्वयं यह कहकर आयी है कि रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 रता को गोद पुत्र माना गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गोदनामा दिनांक 14–06–1979 की प्रतिलिपि भी उपलब्ध है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि देवा पिता रोड़ा जी डांगी ने रता पिता रूपा डांगी को गोद लिया। उक्त गोदनामा पंजीकृत है, पंजीकृत गोदनामे के संबंध में उसके विधिक होने की अवधारणा प्रथम दृष्टया ली जाती है। जब तक कि उक्त गोदनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कर दिया जावे, तब तक गोदनामे को अविधिक माने जाने की कोई उपादेयता नहीं है। वकौल अपीलान्ट/वादिया देवा की मृत्यु सन् 1979 में हुई है और अधिनस्थ न्यायालय में यह वाद 2009 में अर्थात देवा की मृत्यु के 30 वर्षो बाद पेश किया गया है, हालांकि घोषणा के वाद की कोई अवधि नहीं है, परन्तु 30 वर्षो का मौन इस प्रकरण में विश्मयकारी है। पंजीकृत गोदनामे को वोईड घोषित किये जाने के लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं है। यदि उसमें किसी प्रकार की अविधिकता है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय से ही उसके वोईडेबल होने के आधार पर निरस्त किये जाने के बाद ही वादिया को एकल रूप से देवा का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। उक्त गोदनामा जो कि वर्ष 1979 का है तथा पंजीकृत है अतएवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सही मानने की विधिक अवधारणा ली गयी है, जो सही है, उसके विधिक नहीं होने बाबत् जो भी आपत्तियां हैं उसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का 1/2 हिस्सा मानकर जो निर्णय व डिक्री पारित की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1993 उड़ीसा पेज 213 पेश की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि गोद जाना सिद्ध नहीं है, यहां पर पंजीकृत गोदनामा जिसके निरस्तीकरण बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद किया जाकर ही राहत प्राप्त की जा सकती है। पंजीकृत गोदनामे को राजस्व न्यायालय द्वारा अविधिक घोषित नहीं किया जा सकता,

जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2008 पेज 83 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पगड़ी इत्यादि के आधार पर गोद नहीं माना जा सकता, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 1998 पेज 563 पेश की है जो भी पंजीकृत गोदनामे से संबंधित नहीं होकर पारम्परिक गोदनामे से संबंधित है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

इसी प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरे ए.आई.आर. 1981 बोम्बे पेज 240, आर.आर.डी. 1985 पेज 99, आर.आर.डी. 1991 पेज 426 तथा हिन्दू एडोप्शन एवं मेन्टीनेन्स एक्ट 1956 पेश की है, जो कि पारम्परिक तरीकों से गोद की मान्याता नहीं होने से संबंधित हैं। इस प्रकरण में चूंकि पंजीकृत गोदनामा उपलब्ध है अतएवं उसके अविधिक/वोईड घोषित करने के लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया को देवा की 1/2 हिस्से की जायदाद का पुत्री होने के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है तथा 1/2 हिस्सा गोदनामे के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दिया है एवं अन्य विक्रय पत्रों बाबत् भी जो फाईडिंग दी गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती कंकू पुत्री देवज्या उर्फ देवा पत्नी रूपा जी डांगी, नि0 कानुपर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **रता पिता रूपा जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.........**76/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..... ....**गिर्वा**............. मुकाम................मुवर्खे..........**...08**...............माह..............**05**............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**21**....माह........**11**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री संजय बोहरा**.......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री युगल किशोर दशोरा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08—05—2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**21**......माह.......**11**...........**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।